Ministry of Culture
Government of India

साहित्य अकादेमी
(राष्ट्रीय साहित्य संस्थान)
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था

Sahitya Akademi
(National Academy of Letters)
An Autonomous Organisation of Ministry of Culture, Government of India

सा.अ.37/HO/ILF/पटना/9115

29 जुलाई 2025

अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, 2025 (25-28 सितंबर 2025), पटना, बिहार के लिए होटल कमरों हेतु ई-निविदा

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने उन्मेष-अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 की संकल्पना और आयोजन की परियोजना साहित्य अकादेमी को सौंपी है। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव (ILF2025) 25-28 सितंबर 2025 तक पटना, बिहार में आयोजित होने का प्रस्ताव है। इसमें देश-विदेश से लगभग 600 लेखकों, आलोचकों, अनुवादकों और कवियों के अलावा लोक कलाकारों के भाग लेने की संभावना है।

प्रतिभागियों के लिए आवास की आवश्यकता का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	होटल की श्रेणी (*)	कमरों की संख्या	अधिभोग	कुल रात	दिनों की संख्या
1	3 स्टार	130	100 सिंगल 30 डबल	650	24.09.2025 (मध्याह्न) से 29.09.2025 (मध्याह्न)
2	4 स्टार	200	175 सिंगल 25 डबल	1000	
3	5 स्टार	70	60 सिंगल 10 डबल	350	
	कुल	400		2000	
(+) (-) कुल कमरों का 10% MAPAI योजना के अंतर्गत आवश्यकता।			*कृपया MAPAI योजना के अंतर्गत प्रति रात के आधार पर दरें उद्धृत करें।*		

कौन भाग ले सकता है

कोई भी एजेंसी/फर्म/होटल जिसे भारत में होटल आवास बुकिंग/प्रदान करने का अनुभव हो। सरकारी एजेंसियों को इस संबंध में अपने उद्धरण प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:

साहित्य अकादेमी
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान)
35, फ़ीरोजशाह मार्ग, रवींद्र भवन, नई दिल्ली-110001
दूरभाष संख्या : 011-23386626-28; ई-मेल : secretary@sahitya-akademi.gov.in
वेबसाइट :www.sahitya-akademi.gov.in

पृष्ठ 2 जारी

बोली जमा करने की नियम व शर्तें

बोलीदाता को दो-तरफ़ा बोली प्रणाली, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली, के माध्यम से बोलियाँ जमा करनी होंगी। सभी बोलीदाताओं को 11.08.2025 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले ECPP पोर्टल पर निविदा दस्तावेज़ अपलोड करना होगा। ECPP पोर्टल पर ई-निविदा जमा न करने की स्थिति में, निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1. तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

(i)	एजेंसी/कंपनी का प्रोफ़ाइल	संलग्न	हाँ	नहीं
(ii)	आंतरिक तकनीकी जनशक्ति/स्टॉफ़ का विवरण संलग्न	संलग्न	हाँ	नहीं
(iii)	समय रिकॉर्ड/संचालन/संपादित समान कार्यक्रमों का विवरण	संलग्न	हाँ	नहीं
(iv)	साहित्यिक कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित अनुभव निर्दिष्ट करें	संलग्न	हाँ	नहीं
(v)	यह वचनबद्धता कि निविदाकर्ता को भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग/संगठन/ प्राधिकरण/ एजेंसी आदि द्वारा कभी भी काली सूची में नहीं डाला गया है।	संलग्न	हाँ	नहीं
(vi)	विगत 3 वर्षों, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 का प्रमाणित वित्तीय विवरण	संलग्न	हाँ	नहीं
(vii)	नवीनतम आय कर निकासी प्रमाणपत्र/आईटीआर और पैन की प्रति	संलग्न	हाँ	नहीं
(viii)	सचिव, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 10,000/- रुपये (केवल दस हज़ार रुपये) का निविदा शुल्क	संलग्न	हाँ	नहीं
(ix)	सचिव, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 5,00,000/- रुपये (केवल पाँच लाख रुपये) की अग्रिम जमा राशि।	संलग्न	हाँ	नहीं
(x)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र	संलग्न	हाँ	नहीं
(xi)	निविदा शुल्क और अग्रिम जमा राशि से छूट हेतु एमएसएमई प्रमाणपत्र	संलग्न	हाँ	नहीं

2. निविदा प्रस्तुत करना :

3.1 वित्तीय बोली में निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए :-

(i)	कार्य की कुल लागत सभी पहलुओं सहित होनी चाहिए	संलग्न	हाँ	नहीं
(ii)	ठेकेदारों को वित्तीय बोली में दरें और राशि अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी उद्धृत करनी होंगी।	संलग्न	हाँ	नहीं
(iii)	वित्तीय बोली में उद्धृत दरों में समय-समय पर लागू सभी कर, जीएसटी, शुल्क आदि शामिल होंगे।	संलग्न	हाँ	नहीं
(iv)	प्रतिधारण शुल्क माफ/कम करना	संलग्न	हाँ	नहीं
(v)	वित्तीय बोली में उल्लिखित मूल्य अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत/स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।	संलग्न	हाँ	नहीं

पृष्ठ 3 जारी

3.2 ई-निविदा से संबंधित किसी भी प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए, उप सचिव (प्रभारी प्रशासन) से 011 23386088, 011-23386626-28 एक्सटेंशन 207 पर संपर्क करें।

3.3 एमएपीएआई योजना के अंतर्गत दरें भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएँ (अर्थात नाश्ता, 1 मुख्य भोजन और लागू कर)।

3.4 तकनीकी बोली **13.08.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे** साहित्य अकादेमी के तृतीय तल स्थित सम्मेलन कक्ष में खोली जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधि इसमें भाग ले सकते हैं।

3.5 समिति एजेंसियों की अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की क्षमता, उनके कार्य-प्रणाली तथा इस क्षेत्र में उनके अनुभव का मूल्यांकन करेगी।

3.6 तकनीकी बोली पर केवल उन्हीं बोलीकर्ताओं की बोली पर विचार किया जाएगा जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तथा सभी दस्तावेज़ जमा कर चुके हैं।

3.7 बोलियों का पहले तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा, जैसा कि मूल्यांकन अनुच्छेद में निर्दिष्ट है।

3.8 केवल उन्हीं बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएँगी जिनकी तकनीकी बोलियाँ योग्य होंगी।

3.9 साहित्य अकादेमी के सचिव, जो साहित्य अकादेमी में सक्षम प्राधिकारी हैं, का निर्णय बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम तथा मान्य होगा।

3.10 वित्तीय बोलियाँ **14.08.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे** खोली जाएँगी।

3.11 वित्तीय बोलियाँ निविदा प्रदान किए जाने की तिथि से 120 दिनों की अवधि के लिए मान्य होंगी।

3.12 निविदा दस्तावेज़ साहित्य अकादेमी की वेबसाइट "http://sahitya-akademi.gov.in" से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

4. मूल्यांकन मानदंड :

4.1 तकनीकी बोलियों और वित्तीय बोलियों का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा।
- तकनीकी बोली के लिए 80% भारांक
- वित्तीय बोली के लिए 20% भारांक

पृष्ठ 4 जारी

4.2 तकनीकी मूल्यांकन के मानदंड निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	मानदंड	अंक
1	कंपनी की संगठनात्मक क्षमता तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का उसका अनुभव। सरकारी संगठन से जुड़ी एजेंसियों को वरीयता दी जाएगी।	30
2	बोलीकर्ता द्वारा साहित्य अकादेमी के अतिथियों को प्रदान किए जाने वाले आवास की गुणवत्ता, होटलों की सूची सहित।	30
3	बोलीकर्ता का ऐसे कार्यों को संभालने का अनुभव और विशेषज्ञता।	25
4	कार्यस्थल तक निःशुल्क पिक-अप और ड्रॉप जैसी अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान करना।	05
5	प्रतिधारण की छूट/प्रतिधारण की न्यूनतम सीमा को कम करना। अतिथि/प्रतिभागियों की सूची आयोजन से 07 दिन पहले प्रदान की जाएगी।	10

4.3 केवल उन्हीं बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएँगी जिन्हें तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 70 अंक प्राप्त होंगे।

4.4 न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले बोलीकर्ताओं की बोलियों को तकनीकी सह रचनात्मक बोली अंकों (टीटीबीएम) के आधार पर रैंक किया जाएगा तथा "तकनीकी रूप से योग्य बोलियाँ" घोषित किया जाएगा। बोलीकर्ता का तकनीकी बोली अंक "टीएस" निम्नानुसार निकाला जाएगा :

1	टीएस =(टीबीएस x एचएम/टीटीबीएम)
2	टीएस = (तकनीकी बोली अंक)
3	एचएम =(सभी मूल्यांकित बोलियों में उच्चतम अंक)
4	टीटीबीएम =(कुल तकनीकी बोलियाँ अंक)

4.5 केवल उन्हीं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएँगी जिनकी तकनीकी बोली योग्य होगी। सबसे कम वित्तीय बोली को 20 अंक दिए जाएँगे तथा उच्चतम बोली का आनुपातिक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा।

4.6 तकनीकी और वित्तीय बोलियों का संयुक्त मूल्यांकन। बोलीकर्ता का कुल स्कोर निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा :

1	सीएस = (80% x टीएस) + (20% x एफएस)
2	टीएस (तकनीकी स्कोर)
3	एफएस (वित्तीय स्कोर)

4.7 जिस बोली को उच्चतम सीईएस प्राप्त होगा, उसे सर्वश्रेष्ठ बोली माना जाएगा तथा उसे कार्य प्रदान किया जाएगा।

4.8 बराबरी की स्थिति में, उच्चतम तकनीकी स्कोर (टीएस) वाली बोली को सर्वश्रेष्ठ बोली माना जाएगा तथा साहित्य अकादेमी के सचिव का निर्णय मान्य होगा।

5. निविदाकर्ताओं को कार्य/अनुबंध/नौकरी के आवंटन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय प्रस्ताव वापस लेने या उसके नियमों और शर्तों को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। यदि निविदाकर्ता यहाँ दी गई शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या दरें उद्‌धृत करने के बाद पीछे हट जाता है, तो साहित्य अकादेमी द्वारा उक्त **अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)** जब्त कर ली जाएगी।

पृष्ठ 5 जारी

6. मूल्य ह्रास या अग्रिम जमा राशि पर ब्याज के संबंध में साहित्य अकादेमी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

7. सफल बोलीकर्ता को कार्य/अनुबंध/नौकरी के मूल्य के 3% के बराबर, जिसमें अग्रिम जमा राशि घटाकर जमा कर दी जाएगी, कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 03 दिनों के भीतर सचिव, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी।

7.1 अनुबंध के उल्लंघन, लापरवाही या अनुबंध की किसी शर्त का पालन न करने या असंतोषजनक निष्पादन अर्थात अनुबंध के विपरीत कार्य करने की स्थिति में, साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है।

7.2 अनुबंध की समाप्ति पर, साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा फर्म को बिलों पर किए गए किसी भी गलत या अधिक भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त मानी जाने वाली सुरक्षा जमा राशि का वह भाग तब तक रखा जाएगा जब तक कि फर्म के बिल के संबंध में समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त और उसकी जाँच नहीं हो जाती।

8. बुकिंग की कुल अनुमानित लागत का 10% अग्रिम भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित होटलों द्वारा कमरों की बुकिंग की लिखित पुष्टि की जाए। शेष भुगतान PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा विधिवत प्रमाणित/अनुशंसित सफल चेक-आउट पर बिल जमा करने पर किया जाएगा।

9. **<u>अप्रत्याशित घटना :</u>** यदि इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, किसी भी पक्ष द्वारा इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व का पूर्ण या आंशिक रूप से पालन किसी युद्ध या शत्रुता, सार्वजनिक शत्रु के कृत्यों, नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़, आग, बाढ़ के कारण बाधित या विलंबित होता है, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या दैवीय आपदा (जिन्हें आगे घटनाएँ कहा जाएगा) के कारण होने वाली किसी भी घटना की सूचना, बशर्ते कि किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को घटना की तिथि से 21 दिनों के भीतर दे दी जाए, ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा और न ही किसी भी पक्ष के पास ऐसे गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में दूसरे पक्ष के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का कोई दावा होगा, और कार्य फिर से आरंभ हुआ है या नहीं, यह अंतिम और निर्णायक होगा। इसके अलावा, यदि इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी दायित्व का पूर्ण या आंशिक निष्पादन ऐसी किसी भी घटना के कारण बाधित या विलंबित होता है, तो कोई भी पक्ष अपनी इच्छानुसार अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

पृष्ठ 6 जारी

रवींद्र भवन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110 001, दूरभाष : +91-11-23386626-28, फैक्स : +91-11-23382428
Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road, New Delhi-110 001, Phone: +91-11-23386626-28, Fax +91-11-2338 2428
E-mail: secretary@sahitya-akademi.gov.in, Website: http//www.sahitya-akademi.gov.in

9.1 यह भी प्रावधान है कि यदि इस खंड के अंतर्गत अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, तो साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य को आपूर्तिकर्ता से लेने के लिए साहित्य अकादेमी स्वतंत्र होगी, और यह निर्णय अंतिम होगा। ऐसी समाप्ति के समय ठेकेदार के सभी असंतोषजनक कमरे/सेवाएँ या उसका ऐसा भाग, जिसे साहित्य अकादेमी का सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, ऐसी सामग्री, खरीदे गए घटकों और भंडार को छोड़कर, ठेकेदार साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी की सहमति से अपने पास रख सकता है।

10. **दिवालियापन आदि :** यदि फर्म दिवालिया घोषित हो जाती है या उसके विरुद्ध न्यायालय या दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत कोई अन्य आदेश पारित हो जाता है या कोई कंपनी स्वैच्छिक या अन्यथा कोई प्रस्ताव पारित करती है या समापन का आदेश देती है, या यदि फर्म साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहती है, तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

11 **नियम व शर्तों का उल्लंघन :** उपर्युक्त किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन होने पर, साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए कार्य आदेश रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसी स्थिति में साहित्य अकादेमी द्वारा कोई भी राशि देय नहीं होगी तथा सुरक्षा जमा राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

12. **कार्य का उप-पट्टा :** निविदा हस्तांतरणीय नहीं है। फर्म कार्य/नौकरी या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष को नहीं सौंपेगी या उप-पट्टे पर नहीं देगी। एक बोलीकर्ता द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

13. **कार्य की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार :** साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी को अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद किसी भी समय कार्य/नौकरी की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

14. **अस्वीकरण :** साहित्य अकादेमी के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को इस निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए निकटतम रिश्तेदारों की परिभाषा इस प्रकार है :

(क) हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य
(ख) उनके पति/पत्नी
(ग) पिता, पुत्रों, पुत्र की पत्नी, पुत्रियों तथा पुत्री के पति, भाई तथा भाई की पत्नी, बहनें तथा बहन के पति के रूप में एक-दूसरे से संबंधित।

पृष्ठ 7 जारी

15. **मध्यस्थता :** यदि इस समझौते, इसके अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान की व्याख्या, के संबंध में कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो उसे आपसी परामर्श और बातचीत द्वारा सुलझाया जाएगा। यदि सुलह के प्रयासों से 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो पक्षकार दूसरे पक्ष से अनुरोध कर सकते हैं कि विवाद को किसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जिसमें साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ शामिल हो, द्वारा निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए। इस अनुरोध के साथ एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए तीन व्यक्तियों के नामों का एक पैनल देना होगा। यदि ऐसा मध्यस्थ कार्य करने से इनकार करता है, अनिच्छुक है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या कानून के अंतर्गत उसका अधिदेश समाप्त कर दिया जाता है, तो दावेदार द्वारा प्रस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से उसी प्रकार एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही नई दिल्ली में होगी और अंग्रेज़ी में संचालित की जाएगी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए और लागू नियम ऐसी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

16. **विधिक क्षेत्राधिकार :** यह समझौता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संपन्न माना जाएगा और इसके अंतर्गत सभी दायित्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में माने जाएँगे तथा अन्य सभी न्यायालयों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आनेवाले न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

(कृष्णा आर. किम्बहुने)
उपसचिव (प्रभारी प्रशासन)

साहित्य अकादेमी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।